न्यायालय लैण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, चन्द्रशेखर भण्डारी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 15/2019 (प्रा०प०)
दायर दिनांक – 06/02/2019
निर्णय दिनांक – 07/08/2019

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

2. कुसुम देवी पति चतुर्भुज गाडरी निवासी सिन्देसर खुर्द

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रस्तुत किया कि तहसील रेलमगरा को राज्य सरकार की महत्वपुर्ण महत्वाकांक्षी योजना DILRMP के तहत ऑन लाईन किये जाने हेतु शत प्रतिशत तरमीम का कार्य पटवारी/भु.अ.नि. द्वारा फिल्ड में मौका जांच किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सिन्देसर खुर्द की मुल खसरा संख्या 433 में कुसुम देवी पति चतुर्भुज गाडरी निवासी सिन्देसर खुर्द के द्वारा नामा.संख्या 38 से मुल आवंटी श्री चुना पिता मोतीलाल तेली से भुमि क्रय करने से वर्तमान में कुसुम देवी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है। साक्ष्य स्वरूप नामान्तरकरण संख्या 38 की नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। ग्राम सिन्देसर खुर्द में मुल खसरा नम्बर 433 में से वर्ष 2004 ग्राम पंचायत

राजपुरा को 04—00 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु नामान्तरकरण संख्या 566 के पुष्ट पर दर्शाया गया है वास्ते साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 566 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। कुसुम देवी के नाम दर्ज आराजी संख्या 1178/433 रकबा 6—13 बीघा भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है एवं ग्राम पंचायत के नाम दर्ज आराजी संख्या 1292/433 के राजस्व नक्शे में तरमीम कर रखी है। पटवारी हल्का के द्वारा मौका जांच करने पर पाया कि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज आराजी सख्या 1292/433 की तरमीम जहां नक्शे में दर्शायी गई है। वहां पर ग्राम पंचायत का कब्जा नहीं होकर कोई मकान निर्माण नहीं है उस भूमि पर कुसुम देवी पति चतुर्भुज गाडरी का निर्विवाद कब्जा है तथा ग्राम पंचायत को आवंटित आराजी संख्या 1292/433 रकबा 04—00 बीघा भूमि इसी नम्बर में पुर्व आवंटित आबादी के पास मौके पर कब्जा होकर आबादी बसी हुई है। साक्ष्य स्वरूप पटवारी/भु.अ. नि. की रिपोर्ट साथ सलंग्न है। मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम की जाने पर ही रेकार्ड एवं मौके की स्थिति में एक रूपता हो सकती है और कब्जे अनुसार तरमीम करने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। सहमति स्वरूप पर्चा मौका एवं प्रस्वावित नक्शाट्रेस में दोनो विपक्षी पक्ष के हस्ताक्षर है जो साथ संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौके अनुसार तरमीम का आदेश बक्षावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार विपक्षी संख्या 02 कुसुम देवी के नाम दर्ज आराजी संख्या 1178/433 रकबा 6—13 बीघा भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है एवं विपक्षी संख्या 01 ग्राम पंचायत के नाम दर्ज आराजी संख्या 1292/433 के राजस्व नक्शे में तरमीम कर रखी है। ग्राम पंचायत के नाम दर्ज आराजी सख्या 1292/433 की तरमीम जहां नक्शे में दर्शायी गई है। वहां पर ग्राम पंचायत का कब्जा नहीं होकर कोई मकान निर्माण नहीं है उस भूमि पर विपक्षी संख्या 02 कुसुम देवी पति चतुर्भुज गाडरी का निर्विवाद कब्जा है तथा ग्राम पंचायत को आवंटित आराजी संख्या 1292/433 रकबा 04—00 बीघा भूमि इसी नम्बर में पुर्व

आवंटित आबादी के पास मौके पर कब्जा होकर आबादी बसी हुई है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पर विपक्षीगण द्वारा भी सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर अंकित कर रखे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना प्रार्थना पत्र सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिन्देसर खुर्द की आराजी संख्या 1292/433 एवं 1178/433 को कब्जा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रेलमगरा को प्रार्थना लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07/08/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

7/8/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा